

## कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ

पत्रांक ११६/वकाश/जि0प0/2015-2016

दिनांक 29 अक्टूबर, 2015

शेसर्स बिल्डिंग्स कान्ट्रिब्यूशन प्रॉविसो

ग्रामसभा बसहा

विकास खण्ड बरहली का तात्मान

तहसील बरहली का तात्मान

जनपद लखनऊ।

आपके पत्रांक पत्र के साथ उत्तम मानचित्र पर समयाक विचारोपरान्त मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

समाप्तपत्र द्वारा तहसील बरहली का तात्मान जनपद लखनऊ के खसरा संख्या 224, 497क में अनाधिक भवन निर्माण कार्य हेतु प्रस्तुत मानचित्र के कुल कनई एरिया 7143.70 वर्गमीटर हेतु कनई की स्वीकृति निम्न प्रतिबंधों सहित दी जाती है।

- 1- प्रस्तावित भवन निर्माण प्रत्येक खसरा समूह तथा निमाणस्थान अवधि में कोई भी निर्माण सामग्री भवन पर एकत्र न की जाए।
- 2- भवन भवन की विद्युत तारों की लंबाई न हो जाए।
- 3- भवन भवन के साथ से दिग्दर्शक निर्माण प्रत्येक की पश्चिमोत्तर दूरी के सम्बन्ध में रोड साइड से 10 मीटर की दूरी में निर्माण प्रत्येक न्यूनतम 10 मीटर।
- 4- प्रस्तावित भवन के निर्माण कार्य कुल कनई एरिया 7143.70 वर्गमीटर में ही निर्माण प्रत्येक जाए।
- 5- प्रस्तावित भवन के साथ पूर्ण रूप से उपरान्त कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ में प्रेषित किया जाना आवश्यक है।

जिना जिन पुर सूचना के वक्ता भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्तन भवन/मानचित्र में प्रस्तावित है, तो जिला पंचायत लखनऊ से स्वीकार किये बिना परिवर्तन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में जिला पंचायत लखनऊ उत्तरदायी नहीं होगी। अनुमोदित मानचित्र किसी भी दशा में स्वामित्व का अभिलेख नहीं माना जायेगा।

अपर मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत, लखनऊ

मुख्य

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

लखनऊ।

संख्या: 9-2088/2015/7596/एलफेडक्यू/लखनऊ/1081/सीएफओ  
सेवा में,

दिनांक: नवम्बर 07, 2015

हायरिफ्टर,

बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन प्रा0 लि0

404 इन्साफ नगर निकट पानी गांव पैलेस

इन्दिरा नगर लखनऊ।

विषय:- भूखण्ड संख्या- 224 व 497 ग्राम बसहा परगना महोना तहसील बी0के0टी0, लखनऊ पर मेसर्स बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन प्रा0 लि0 द्वारा प्रस्तावित समूह आवास भवन को प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के संबंध में।

कृपया अपने पत्र दिनांक रहित क्व सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो उपरोक्त विषयक है।

उपरोक्त विषयक प्रस्तुत भवन मानचित्र का एन0बी0सी0-2005 एवं भवन निर्माण एवं विक्रस उपविधि-2008 के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से अग्निशमन अधिकारी, बी0के0टी0 लखनऊ द्वारा निरीक्षण/परीक्षण किया गया जिनकी आख्या का परिशीलन किया गया तो निम्न तथ्य प्रकाश में आये:-

भवन की संरचना :-

- 1- भवन का कुल भूखण्ड एरिया- 2402.359 वर्ग मीटर
- भूतल का क्वर्ड एरिया- 999.74 वर्ग मीटर
  - प्रथम तल से 6वे तल तक प्रत्येक की क्वर्ड एरिया- 999.74 वर्ग मीटर

2- भवन की अधिमजतम् ऊँचाई- 18 मीटर

भवन का अधिभोग एवं हेजार्ड श्रेणी:-प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की आयासीय श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किय गया है।

ढोचागत व्यवस्था:-

- 1- पहुँच मार्ग :- भूखण्ड के सामने मानचित्र में 24.00 मीटर रोड की चौड़ाई है।
- 2- प्रवेश द्वार की चौड़ाई-भवन में प्रवेश हेतु प्रस्तावित गेट की चौड़ाई-06.00 मीटर है।
- 3- सेटबैक:- प्रस्तावित भवन का सेटबैक निम्नवत है:-
- अग्रभाग- 12.00 मीटर
  - पुष्टभाग- 06.00 मीटर
  - पार्श्व भाग- 06.00 मीटर
  - पार्श्व भाग द्वितीय 06.00 मीटर

उपरोक्तानुसार भवन के सेटबैक भवन विनियमावली के अनुसार मानचित्र में प्रदर्शित है। सेटबैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेंगे सेटबैक में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

4-निकास मार्ग:- प्रस्तावित भवन में 03 स्टेयर केस 1.50-1.50 मीटर चौड़ाई के मानचित्र में प्राविधान किया गया है, जिनके फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम् अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

5- रिफ्यूज एरिया:- आवश्यक नहीं है।

अग्नि सुरक्षा व्यवस्था:- एन0बी0सी0-2005 के अनुसार अग्निशमन व्यवस्थाये की जानी अनिवार्य है:-

1- भूमिगत टैंक:- आवश्यक नहीं है।

2- पम्प:- आवश्यक नहीं है।

3- होजरील : प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर के प्रत्येक तल पर होजरील, सैफिडिंग वाल्व, आई0एस0-3844 मानको के अनुसार प्राविधानित है।


4- वेट राइजर :- आवश्यक नहीं है।

5- यार्ड हाइड्रैन्ट- सम्पूर्ण भवन परिसर में यार्ड हाइड्रैन्ट, होज कैबिनेट एवं उसमें डिलीवरी होज तथा ब्रांच पाइप एवं फायर सर्विस इन्लेट का प्राविधान आई0एस0-13039:1991 के अनुसार किया जाना आवश्यक होगा।

6- हस्ताक्षरित इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम :- प्रस्तावित भवन में प्रत्येक टावर में मैनूअली आपरेटेड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार मानचित्र में प्राविधानित है।

(2)

- स्वचालित डिटेक्शन एवं एलार्म सिस्टम :- भवन में आवश्यक नहीं।
- 8- स्वाचालित सिंक्रलर सिस्टम:- आवश्यक नहीं है।
- 9- टैरिस टैंक:- प्रश्नगत भवन के टैरिस पर टैरिस टैंक 25000 लीटर क्षमता का स्थापित किया जाना आवश्यक है।
- 10- टैरिस पम्प:- प्रश्नगत भवन के टैरिस टैंक के पास 900 लीटर प्रति मिनट क्षमता का टैरिस पम्प का स्थापित किया जाना आवश्यक है।
- 11- प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित भवन में प्रत्येक तल पर फायर एक्सटिंग्यूशर आईए 2190- 2010 के अनुसार मानचित्र में प्राविधान है।
- 12- स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम:- फायर चेक डोर, स्मोक चेक डोर की लोकेशन व रेटिंग 02 घण्टा है।
- 13- प्रेशराइजेशन प्रणाली- आवश्यक नहीं।
- 14- एग्जिट साइनेज:- सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साइनेट प्राविधानित किये जाने होंगे।
- 15- पी0ए0 सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन में पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था प्राविधानित है।
- 16- प्रश्नगत भवन में इमरजेन्सी/स्केप लाइटिंग एन0बी0सी0-2005 पार्ट-4 में उल्लिखित के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा।
- 17- भवन निर्माण के पश्चात व उपयोग से पूर्व भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सदैव कार्यशील दशा में रखने हेतु एन0बी0सी0-2005 पार्ट-4 के प्रस्तर-सी-5, सी-6, सी-7, सी-8, सी-9 में उल्लिखित मानकों का पालन अनिवार्य होगा।
- 18- भवन के सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली, फायर लिफ्ट, स्टेयर केसो व फाडीडोर की लाइटों को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत से पृथक् लाइन (वायरिंग) फायर सेफ डक्ट से सुरक्षित करते हुए जोड़ा जाना आवश्यक होगा।
- अतः उपरोक्तानुसार अग्निशमन अधिकारी, बी0के0टी0, लखनऊ की संस्तुति के आधार पर भूखण्ड संख्या 224 व 497 ग्राम बसहा परगना महीना तहसील बी0के0टी0, लखनऊ पर मेसर्स विल्डिया कान्स्ट्रक्शन प्रा0 लि0 द्वारा प्रस्तावित समूह आवास भवन को प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था भवन विनियमावली तथा नेशनल विल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया- 2005 में उल्लिखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाये मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/ परीक्षण अग्निशमन विभाग द्वारा अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
- संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र।

  
(पी0बी0पी0ए0)  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
लखनऊ।

प्रतिलिपि:- अग्निशमन अधिकारी, बी0के0टी0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।